जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
103/2016

**अपील सूचना अधिकार संख्या 103/2016 अनवानी श्री श्रवण कुमार पुत्र नत्थुराम जाति नायक निवासी 19 आर.जे.डी तहसील घडसाना बनाम उपखण्ड अधिकारी, घड़साना**

A3

**11–02–2017**

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री श्रवणकुमार उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री इन्द्राज सुथार लिपिक उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.04.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से से चाही गई सूचना के संबंध में उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावं एवं हर्जाना दिलवाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी घड़साना के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना चाही गई है उससे संबंधित पत्रावली उनके कार्यालय में उपलब्ध नही हुई है इसलिए सूचना नही दी गई है। इस संबंध को अपीलार्थी को पत्र दिनांक 06.05.2016 द्वारा सूचित भी कर दिया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री श्रवण कुमार ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 12.04.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> दावा पत्रावली जो आरएए से पत्र कमांक 162 दिनांक 12.04.12 को उपखण्ड कार्यालय में भेजी गई। भेजने का पत्र अपील अधिकारी का सलंग्न हैः–
> 1. प्रमाणित प्रति आदेश दिनांक 14.12.2010 प्रकरण सं. 77/10 अनवान लक्ष्मणराम/श्रवणकुमार वगैरा अन्तर्गत धारा 188.209 आरटीए
> 2. प्रमाणित प्रति आरएए आदेश दिनांक 06.03.2012 अपील सं. 7/11 अनवान लक्ष्मण/ श्रवणकुमार (पत्रावली कार्यालय में भेजने का कंमाक पत्र आरएए का सलंग्न है)

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उिपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने जबाब सं0 1055 दिनांक 18.07.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 778 दिनांक 06.05.2016 के द्वारा अपीलार्थी को अवगत करवा दिया था कि उसकी पत्रावली उनके कार्यालय में प्राप्त नही हुई है जिस कारण वांछित सूचना दी जानी संभव नही है।

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने पत्र सं0 778 दिनांक 06.05.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P-T

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
103/201

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण सं0 77/10 अनवानी लक्ष्मणराम बनाम श्रवणकुमार वगैरा की पत्रावली के सम्बंध मे सूचना चाही गई है। इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार आपकी पत्रावली इस कार्यालय में प्राप्त नही हुई है। इसलिए आप द्वारा वांछित सूचना दी जाना सम्भव नही है।

A3/2

चूंकि अपीलार्थी जिस पत्रावली संख्या 77/2010 के आदेश दिनांक 14.12.2010 व आरएए के आदेश दिनांक 06.03.12 की प्रमाणित प्रतियां चाही है। लोक सूचना अधिकारी के उत्तर दिनांक 06.05.16 के अनुसार संबंधित अभिलेख उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लांक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

**उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी न्याय हित में सूचना अधिकारी अधिनियम की भावना को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि रिकार्ड उपलब्ध होने पर अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे।** आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

U83-84
23/3/17

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर